प्राचीन भारत में गुप्तचर व्यवस्था

*डॉ. शाहिद अहमद

गुप्तचर शब्द को दो शब्दों गुप्त+चर शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है गुप्त रूप से विचरण करने वाला या गुप्त रूप से घुमने वाला। प्राचीन काल से राज प्रशासन में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता था। ऐसे में बिना इसके सहयोग के राजा द्वारा कार्य करना कठिन होता था। क्योंकि इनका कार्य रहस्य भेदन होता था। गुप्तचर विभिन्न रूपों जैसे विद्यार्थी ,नट,संन्यासी, पागल ,कपटी शिष्य ,व्यापारी एकान्तवासी, गृहस्थ, अंशान्ति फैलाने वाले, सपेरों, कलाबाजों आदि में रूप में घुमते रहते थे। गुप्तचर राज्य अधिकारियों तथा राजा के प्रति जनता के मनों भावों का पता लगाते थे। प्राचीन काल में सभी राजनीति शास्त्र प्रणेताओं ने राजा का एकमात्र कर्तव्य प्रजा का हित एवं कल्याण बतलाया है। अतः प्रजा को होने वाली तकलीफो एवं पीडाओं की जानकारी राजा तक पहुचाना गुप्तचर का ही कार्य था। ऐसे गुप्तचरों की नियुक्ति से पूर्व राजा को गुप्तचर के गुणों की जानकारी कर लेने का निर्देश मिलता है। क्योंकि सर्वगुण सम्पन्न गुप्तचर ही राजा के गोपनीय एवं विश्वसनीय कार्यो की परिणति कर सकता है। कामन्दक ने गुप्तचर को राजा की आंखें कहा है ''चार चक्षुर्महीपतिः''1 यही बात विष्णु घर्मेत्तर' 2 एवं उद्योग पर्व 3 में कही गई है।

रामायणकार ऐसे गुप्तचरों की नियुक्ति के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताओं को निर्धारित करते है। जिन्हे पूरा करने पर ही है गुप्तचरी के कार्य पर नियुक्ति प्रदान करना चाहिए। उनके अनुसार गुप्तचरों को विश्वास पात्र, शूरवीर, धीर और निर्भय होना चाहिए। उन्हें तेजगति में चलने वाला, बुद्धिमान और छदम वेश धारण करने में भी चतुर होना चाहिए। 4

महाभारतकार यद्यापि इस सम्बन्ध के तो पक्षपाती है कि राजा को अपनी सुरक्षा दृष्टि तथा राज्य हित में गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए लेकिन इस विषय में मौन है कि किस वर्ण या जाति के लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाए। हॉं, इतना अवश्य संकेत देते है कि व्यक्ति कुलीन परिवार का हो और समाज में उसके बारे में कोई अपवाद न हो। किन्तु राजा स्वेच्छा से अकुलीन परिवार के व्यक्ति को भी गुप्तचर बनाकर रख सकता था यह उसका सर्वाधिकार था।5

गुप्तचरों में अनेक गुणों की अपेक्षा की गई है, उन्हें चरित्रवान ,बुद्धिमान,मृदुभाषी ,कौशल, विरोधियों के मन और भावनाओं को जानने वाला आदि गुणों में परिपूर्ण होना चाहिए। इसे विभिन्न कलाओं (ललित कलाओं) ज्ञान विज्ञान में भी निपूर्ण होना चाहिए।6 ऐसे लोगों को गुप्तचर पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। जिन पर कोई शक न कर सके जैसे अंधे, बहरे, पागल, मूर्ख की भांति व्यवहार करते हों, भूख प्यास बर्दाश्त करने की क्षमता हो, परिश्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हो, ऐसे स्त्री पुरूषों को गुप्तचर सेवा में नियुक्ति की सिफारिश महाभारत कहता है। 7

कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर सेवा में किसी ऐसे पुरूष को नियुक्त करना चाहिए जो शत्रु के किसी प्रलोभन में न आवे शत्रु के गुप्तचरो का पता लगाने के लिए राजा की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए।8 आचार्य कामन्दक के अनुसार चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात को जानने वाला हो, उसकी याददाश्त तेज हो, मधुरभाषी तथा तुरन्त निर्णय लेने वाला हो, कठिन परिश्रम करने की शक्ति रखता हो।9 आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार जासूस (गुप्तचर) के पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो शत्रु तथा प्रजागण के व्यवहार को जानने के लिए कुशल एवं यथार्थ बातों को सुनकर उन्हे ठीक–ठीक बताने वाला हो।10 मजूमदार ने कहा है कि '' गुप्तचरों की योग्यता'' उनकी चातुरी, कठिन और व्यवहार सम्बन्धी उनकी विस्तृत जानकारी के आधार पर आंकी जाती थी के लोग गृहस्थ, कृषक व्यापारी, साधु संत, जोगी, भिक्षु और विद्यार्थी आदि का वेश धारण कर समाज के विभिन्न वर्गो में घुलमिल कर सुचनाए प्राप्त करते हो। राजा उनको अथवा उच्चाधिकारियों जैसे पुरोहित, मंत्री तथा सेनापति के ही नहीं अपने सगे बेटे और युवराज पर भी 'दृष्टि' रखने (निगाह रखने) के लिए नियुक्त करता था।11

शामशास्त्री ने गुप्तचरों के कार्यो का विवेचन करते हुए लिखा है कि वैदिक कालीन गुप्तचर केवल दीवानी, फौजदारी मामलों में पक्ष–विपक्ष और गवाहों के वक्तव्यों की जांच ही नहीं करते थे बल्कि दुष्प्रवृति वालों की गति विधियो का पता लगाते रहने का भी कार्य था। राज्य में अपराधियों के साथ–साथ धार्मिक एवं सामाजिक व्यवहार को खराब करने वालों की गतिविधियों पर ध्यान रखना उनका कार्य था।12 '

महाभारतकार ने निर्देश दिया है कि गुप्तचरों को राज्य में घूमघूम कर समाचार एकत्रित करना चाहिए तथा सभापद आदि के कार्यों एवं मनोभावों की जानकारी, भी समय समय पर राजा तक पहुँचाते रहना चाहिए तथा राज कर्मचारियों पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए।13 इसी बात की पुष्टि करते हुए आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि अमात्यों एवं मंत्रियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखना तथा उनके कार्यकलापों की सुचना राजा तक पहुचाना गुप्तचरों के कार्य थे।

कौटिल्य ने गुप्तचरों के विभिन्न पक्षों का विस्तार में वर्णन किया है वह उन्हे संस्था (एक ही स्थान पर कार्यरत) और संचर (भ्रमणशील या घूम घूमकर समाचार एकत्र करने वाले) के रूप में उल्लेखित करता है। मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था में गुप्तचरों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करने सम्बन्धी सन्तुति है। समग्र प्रशासन एवं अधि

*विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग श्र्याीभवानी निकेतन स्नातकोत्तर (छात्र) महाविद्यालय, जयपुर

ाकारियों के आचार पर पूर्णरूप से निगरानी रखने के लिए एक सुगठित गुप्तचर प्रणाली का विकास किया गया था। विशाल संख्या में गुप्तचरों जासूसों (गूढ पुरूषों) दोहरी भूमिका का निर्वाह करने वाले गुप्तचरों (double Agent) गुप्त सुचनाएं एकत्र करने वाले गुप्तचरों आदि को सम्पूर्ण साम्राज्य में ही नियुक्त नहीं किया जाता था अपितु उनका कार्य अन्य राज्यों के शत्रु की गतिविधियों की जानकारी करना भी था। ''14

विदेशी राज्यों में गुप्तचरों का प्रमुख कार्य विदेशी राज्य की सैनिक शक्ति , गुप्तभेद, प्रमुख राज्य कर्मचारियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपने राजा को सुचित करना था। कौटिल्य के अनुसार इन पदों पर केवल अत्यधिक कुशल , चतुर एवं अत्यधिक ईमानदार स्त्री पुरूषों को ही इस विभाग में नियुक्त किया जाता था। बीज या गुढलेख , कुटशब्द, गुप्तभाषा आदि प्रयोग में लाये जाते थे। और संदेश वाहक कबुतरों की सेवाए ली जाती थी। गुप्तचर राजा के कान और नेत्र थे शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का कार्य गुप्तचरों का पता लगाने के साथ साथ राज्य एवं राजपरिवार के प्रमुख पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों , अमात्यों एवं मंत्रियों आदि में वैमनस्य उत्पन्न करना, पारस्परिक फूट डालना, राजा के विरूद्ध प्रोत्साहित करना तथा अवसर प्राप्त होने पर उन्हें लोभ लालच देकर अपनी ओर मिलाना भी था। इसके अलावा गुप्तचर को चाहिए कि वह शत्रु राज्य में क्रुब्ध, लुब्ध, भीत एवं मानी वर्ग के लोगों को फोडकर अपनी ओर मिलाले।15 गुप्तचरों के विरूद्ध भी गुप्तचर की नियुक्त किये जाते थे जिससे उनके कार्यो एवं आचरण पर निगरानी रखी जा सके। महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में गुप्त सूचना एकत्रित करने के लिए एक में अधिक गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी और उनके द्वारा एकत्रित सुचना का मिलान किया जाता था।

स्ट्रेबो के अनुसार '' देश भर में तथा नगरों में क्या हो रहा है यह पता करने के लिए और इनकी निजी तौर पर सूचना देने के लिए सर्वेक्षक (ओवरसियर) नियुक्त होते थे।'' अशोक ने अपने शिलालेख में यह आदेश दिया था कि उसे राज्य की घटनाओं के बारे में निरन्तर सूचित किया जाना चाहिए। विदेशों में नियुक्त राजदूत खुले गुप्तचर होते थे।

अन्य ग्रंथों में भी गुप्तचर एवं दूत के कार्यो का विशद वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में दूत और गुप्तचर दोनों के कार्य क्षेत्र अलग–अलग थे। दूत प्रकाश्य होता था। और गुप्तचर गूढ़ प्रतिनिधि। मनुस्मृति में दूत की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विशारक, रूप को समझने वाला, शुद्ध एवं पवित्र, चतुर एवं कुलवान हो, उसे ही दूत बनाना चाहिए।16 दूत के कार्यो के सम्बन्ध में मनु ने निर्देश दिया है कि वह शत्रु को मिलाता है अथवा दूत की मिले हुए अर्थात मित्र को बिगाड़ता है। जिसके द्वारा सन्धि मिलाप, तथा विग्रह होता है वह दूत ही करता है।17 कामन्दकनीतिसार में जड, मूक, बधिर, बोने, किरात, कुब्जे, भिक्षुक एवं अन्य कार्यो के जानने वाले गुप्तचरों को अन्तः पुर के समाचारों को तथा छत्र ,चमर, यान, वाहन के धारण करने वाले गुप्तचरों को बाहर के समाचारों को जानने का निर्देश दिया गया है। 18

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से निर्दिष्ट गुप्तचरों के कार्यो से स्पष्ट होता है कि गुप्तचर महत्वपूर्ण संस्था थी। इनकी आवश्यकता राजा को युद्ध एवं शान्ति के समय अवश्य पडती थी। शांन्तिकाल में गुप्तचरों का कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण सुचनाएं एकत्रित करना या जिसमें राजा कुशलतापूर्वक शासन चला सके। युद्ध काल में तो इनकी बडी ही निर्णायक भूमिका रहती थी। क्योकि इन्हीं के द्वारा शत्रु की सही स्थिति तथा उसकी सेना आदि का सही परिज्ञान होता था। इस प्रकार गुप्तचरों के कार्य राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ

1. कामन्दक नीतिसार –12/18
2. राजानश्चार चक्षुषः– विष्णुधर्मोतर – 2/24/63
3. चारैः पश्यन्ति राजानः – उद्योग पर्व – 34/34
4. युद्ध काण्ड, 29/10
5. महाभारत , शान्ति पर्व – 43/2–3
6. शांन्ति पर्व , 120/27–28
7. वही , 69/8 आश्रमवासिक पर्व–5/15
8. अर्थशास्त्र, 1/7/11 अंतिम श्लोक
9. कामन्दकनीतिसार – 12/25
10. शुक्रनीति , 1/189
11. प्राचीन भारत, ले रमेंश चन्द्र मजूमदार 1 प्रकाश, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली :1 द्वि सं. 1973 पृ.सं 127
12. इवोल्यूशन आफॅ इण्डियन पालिटिक्स – शामशास्त्री , पृ. 23–24
13. सभापर्व , 5/22
14. अर्थशास्त्र , 1/7/11
15. अर्थशास्त्र 1/9/13
16. दूत चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम। इडिगताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोदगतम् मनु 7/63
17. मनु., 7/33
18. रघुवंश 14/13/32